1

[2022] 18 एस. सी. आर 1

क.

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.

रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने अपने प्रभु और प्रभु के माध्यम से निर्णय लिया।

(सिविल अपील सं. 2022 का 8531-8532) 16 नवंबर, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (जी. सी. ओ. एस. ए., 1961)-एस. 103, 103 (ए)-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-एस. एस. 38, 39, या। 21,r.46A, या। 26,आर. 46-सीमा अधिनियम धारा 5-अपीलार्थी-बैंक ने एक फर्म (मेसर्स) को वित्तीय सुविधा प्रदान की। तीन भागीदारों (प्रत्यर्थियों और एक गौतम विष्णुप्रसाद त्रिपाठी) के विमल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप फर्म)-राशि का भुगतान नहीं किया गया था-अपीलकर्ता द्वारा 1988 में नामित बोर्ड यू/जी. सी. ओ. एस. ए. 1961 के समक्ष लवाद सूट दायर किया गया था, जिसमें मुकदमे की तारीख से लेकर शिकायतकर्ता को मुकदमे की प्राप्ति और लागत तक ब्याज के साथ भुगतान करने का प्रावधान था-मामले का निर्णय एक मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में किया गया था-प्रमाण पत्र यू/एस पर विचार किया गया था।103(क) अधिनियम का 17.09.1995 पर जारी किया गया-अपीलार्थी ने सिविल न्यायालय के समक्ष निष्पादन आवेदन दायर किया-उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थियों के खिलाफ (उसमें) वसूली के लिए जंगम वारंट जारी किया गया था-अपीलार्थी ने इस आधार पर सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निष्पादन आवेदन को वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया कि प्रत्यर्थी ने निवास स्थान स्थानांतरित कर दिया था-निकासी आवेदन को 02.02.2005 पर अनुमति दी गई थी-<आईडी3 पर, अपीलार्थी-बैंक ने चौथे अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की-अपीलार्थी ने एक अन्य साझेदारी फर्म के खिलाफ एक डिक्री प्राप्त की थी जिसमें प्रत्यर्थी एक 'एच' के साथ भागीदार थे-उक्त के खिलाफ प्राप्त मानित डिक्री।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1

2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

गारंटर के रूप में माँ के दायित्व के प्रवर्तन के साथ, अपीलार्थी द्वारा 24.01.2007 पर एक आवेदन दायर किया गया था-आवेदन का उद्देश्य अदालत की नीलामी में प्राप्त की गई राशि के संदर्भ में मानित डिक्री की संतुष्टि प्राप्त करना प्रतीत होता है-उत्तरदाताओं ने आपत्ति दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और कहा गया कि जमा की जाने वाली राशि और ब्याज और लागत उत्तरदाताओं के हिस्से पर आनी चाहिए-उत्तरदाता ने आदेश को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने कहा कि (विवादित आदेश) -क) अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि पहला आवेदन डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज होने के बाद दूसरे निष्पादन न्यायालय के समक्ष आवेदन सीमा की अवधि के भीतर नहीं था;ख) इसे दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए दायर निष्पादन याचिका बिना किसी आदेश के की गई थी।39 सी. पी. सी.;ग) अनिवार्य आवश्यकता का पालन किए बिना, अर्थात, पीड़ित व्यक्ति को कुर्की पर अपनी आपत्ति उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए निष्पादन न्यायालय ने

आदेश 21 नियम 46 ए के तहत प्रार्थना की अनुमति दी थी-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःकेवल चूक के आधार पर पहले आवेदन को खारिज करने के परिणामस्वरूप डिक्री धारक को एक नई निष्पादन याचिका दायर करने से रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते कि यह समय के भीतर हो-जब प्राधिकरण ने अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित किया, तो यह एक दीवानी न्यायालय था-यह सी. पी. सी. की धारा 38 के अर्थ के भीतर एक न्यायालय नहीं है-सी. पी. सी. की धारा 39 के प्रभावी काम करने के लिए, एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसने एक डिक्री पारित की हो-सी. पी. सी. के संदर्भ में इन मामलों में धारा 38 के अर्थ के भीतर ऐसा कोई न्यायालय नहीं है, इसके बजाय, अनिवार्य रूप से मध्यस्थता कार्यवाही होती है और जो उक्त प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है वह केवल एक डिक्री के प्रभाव से पहना जाता है और इसे एक डिक्री के रूप में लागू किया जाता है-इसके परिणामस्वरूप एक मानित डिक्री-शब्दों का डिक्री दिया जाता है जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है।2 सी. पी. सी. 'के रूप में एस में उपयोग किया जाता है।103 अधिनियम की अवधारणा को अधिक स्पष्टता के साथ और प्रचुर सावधानी के साथ सुदृढ़ करना है-इन शब्दों की उपस्थिति अपने आप में इस सिद्धांत को अलग करने के प्रयास का समर्थन नहीं कर सकती है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी. पी. सी. की धारा 38 और 39 उतनी लागू नहीं हैं, डिक्री धारक किसी भी न्यायालय में डिक्री को निष्पादित करने की कोशिश कर सकता है जो अन्यथा अधिकार क्षेत्र में है-ऋण, शेयर और अन्य संपत्ति के मामले में यू/ऑर्डर 26 नियम 46 प्रक्रियाएं एक कुर्की के साथ शुरू होती हैं, लेकिन इस मामले में जमा में पड़े धन के रूप में ऋण की कोई कुर्की नहीं होती है, जो आदेश 21 नियम 46 ए के साथ आदेश पारित करने का एक तरीका नहीं है-ए में

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

3

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस।

तथ्य, इसलिए, दूसरी निष्पादन याचिका बनाए रखने योग्य है-दूसरी निष्पादन याचिका दायर करना इस कारण से अवैध नहीं था कि सी. पी. सी. की धारा 39 के तहत कोई आदेश नहीं था-आदेश 21 नियम 46 ए के तहत आवेदन दायर करना और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** चूक के आधार पर केवल पहले आवेदन को खारिज करने के परिणामस्वरूप डिक्री धारक को एक नई निष्पादन याचिका दायर करने से रोका नहीं जा सकता है बशर्ते कि यह समय के भीतर हो।**[**पैरा **21] [17-**एफ**]**

ग

2. हालांकि निष्पादन न्यायालय के समक्ष सीमित करने की याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान की धारा **136** के तहत विशेष अवकाश देने से उत्पन्न अपील में कानून के शुद्ध प्रश्न को उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है।अधिनियम की धारा **103** में इस बात पर विचार किया गया प्रतीत होता है कि प्राधिकरणों द्वारा निर्णय के बाद**,** जिसमें उससे की गई कोई भी अपील शामिल होगी**,** पारित आदेश को पंजीयक या परिसमापक द्वारा प्रमाणित किया जाना है।यह एक प्रावधान के रूप में एक दीवानी न्यायालय की डिक्री को जन्म देगा।इस मामले में वर्ष **1988** में एक पुरस्कार पारित किया गया था और वर्ष **1995** में प्रमाण पत्र जारी किया गया था। प्रमाणपत्र के लिए अपीलार्थी द्वारा आवेदन कब किया गया था और प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने में कितना समय

लिया गया था, ये सभी मामले रहस्य में डूबे हुए हैं।अपीलार्थी के लिए एक मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील की आशंका है कि यदि लेनदार एक डिक्री को निष्पादित करने के लिए प्रदान किए गए समय से अधिक समय के लिए भी इस मामले पर सो जाता है और बहुत देरी से आवेदन करता है तो इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से असमान स्थिति पैदा नहीं हो सकती है क्योंकि तथ्य अन्यथा बोलते हैं।**[**पैरा **22] [17-**जी**-**एच**; 18-**ए**-**डी**]3.** प्रतिवादियों को इस कोर्ट सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के फैसले में अंतर करने की मांग करना उचित नहीं हो सकता है।यह संदेह के क्षेत्र में नहीं हो सकता है कि जब प्राधिकरण ने अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित किया था, तो यह एक दीवानी न्यायालय था।यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **38** के अर्थ में एक न्यायालय नहीं है।यदि ऐसा कोई न्यायालय नहीं है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने इस मामले में पुरस्कार पारित किया है, तो यह अकल्पनीय है कि इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

उसी सांस में कि दूसरे न्यायालय में निष्पादन कार्यवाही को बनाए रखने के लिए यह अपरिहार्य है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, उसे कार्यवाही को बाद के न्यायालय में अनिवार्य रूप से स्थानांतरित करना होगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **39** के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसने एक डिक्री पारित की हो।अधिनियम की धारा **103** में उपयोग किए गए 'सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **2** के खंड **(2)** में परिभाषित डिक्री' शब्द अधिक स्पष्टता और प्रचुर सावधानी के साथ डिक्री की अवधारणा को मजबूत करने के लिए हैं।इन शब्दों की मात्र उपस्थिति अपने आप में उस सिद्धांत को अलग करने के प्रयास का समर्थन नहीं कर सकती है जो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के निर्णय में निर्धारित किया गया है जो यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **38** और **39** लागू नहीं हैं, डिक्री धारक किसी भी न्यायालय में डिक्री को निष्पादित करने की कोशिश कर सकता है जो अन्यथा अधिकार क्षेत्र है।इसका मतलब यह होगा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है और पलटने योग्य है।**[**पैरा **24] [19-**जी**-**एच**; 20-**ए**-**ई**]**

ग

डी.

4. इस मामले में, जमा में पड़े धन के रूप में ऋण की कोई कुर्की नहीं होती है।जो आदेश पारित किया जाता है वह स्पष्ट रूप से आदेश **21** नियम **46** ए के तहत बनाया जाता है। निश्चित रूप से, यह वह तरीका नहीं है जिसमें आदेश **21** नियम **46** ए के अर्थ के भीतर एक आदेश पारित किया जा सकता था। एक निश्चित योजना है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है जो आदेश **21** नियम **46** के अवलोकन से और वर्ष **1976** के संशोधन द्वारा कानून में बाद के परिवर्धन से स्पष्ट है जो आदेश **21** नियम **46** ए से आदेश **21** नियम **46** आई में निहित है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधानों के अनिवार्य होने की ओर इशारा करेगा।इसलिए, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही प्रतीत होता है कि निष्पादन न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **21** नियम **46** ए के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आदेश **21** नियम **46** के तहत ऋण को कुर्क करना चाहिए था।**[**पैरा **28] [24-**जी**-**एच**; 25-**ए**]**

ई.

च

5. दूसरी फांसी याचिका दायर करना इस कारण से अवैध नहीं था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **39** के तहत कोई आदेश नहीं था।आदेश **21** नियम **46** ए के तहत आवेदन दायर करना और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हो सकता है।इस मामले के तथ्यों में**,** अधिक उपयुक्त ए

जी.

एच.

5

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस।

आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **21** नियम **52** के तहत एक होता।यह राशि उसी न्यायालय में जमा है जिसमें अपीलार्थी ने निष्पादन के लिए दूसरा आवेदन दायर किया है।यह निर्देश दिया जाता है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को एक ऐसे आदेश के रूप में माना जाना चाहिए जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **21** नियम **52** के तहत कुर्की की गई है।दिनांक **08.08.2022** के आदेश द्वारा**,** इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को रुपये से अधिक की जमा राशि निकालने की अनुमति दी थी। **12** लाख।इस प्रकार यह अपीलार्थी के लिए खुला होगा कि वह उक्त राशि के विरुद्ध एक लाख रुपये की सीमा तक आगे बढ़े। **12** लाख।आदेश को कुर्की के आदेश के रूप में माना जाएगा।इसलिए निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार मामले पर आगे बढ़ेगा।हालाँकि**,** प्रत्यर्थियों**-**पटेल भाइयों को निष्पादन न्यायालय के समक्ष आपत्तियाँ उठाने का अवसर मिला और आदेश **21** नियम **46** सी के तहत जो अधिकार दिया गया है**,** वह गार्निशी के लाभ के लिए है।यह किसी का मामला नहीं है कि उत्तरदाता**-**पटेल भाई गार्निशी हैं।**[**पैरा **32] [26-**जी**-**एच**; 27-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

6. तथापि निष्पादन न्यायालय प्रत्यर्थियों की इस शिकायत पर विचार नहीं करेगा कि अपीलार्थी ने मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि के समायोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों के संदर्भ में उचित रूप से लेखा**-**जोखा नहीं किया है जो प्रत्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार के तहत देय होगी।उक्त कार्य करने के लिए निष्पादन न्यायालय को खुला छोड़ दिया गया है और यह निष्पादन न्यायालय पर है कि वह अंततः उस सटीक राशि का निर्णय करे जो अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जानी है।आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है।अपीलों की अनुमति दी गई।**[**पैरा **33] [27-**ई**-**एफ**]**

ई.

शिवशंकर प्रसाद शाह और अन्य बनाम बैकुंठ

च

नाथ सिंह और अन्य 1969 (1) एस. सी. सी. 718:[1969] 3

एससीआर **908;** सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल

समद और एक अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 622:[2018] 10

एस. सी. आर. 451; नुथलपति कोटैया बनाम गुंटूर में टी. टी. डी. कार्यालय के कार्यकारी अधिकारी (1985) 3 ए. पी. एल. जे. 103; मदुरै नगर निगम, जिसका प्रतिनिधित्व इसके आयुक्त, मदुरै बनाम एन. भास्करा पांडियन और

जी.

एक और 1998 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 75; कार्यकारी अभियंता,

एच.

6 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

टी. सी. डिवीजन, के. एस. ई. बोर्ड, पालघाट बनाम जे. एच.

क.

शर्मा और एक अन्य आकाशवाणी 1988 केर। 285-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1969] 3 एससीआर **908**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2018] 10 एससीआर **451**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 की सिविल अपील संख्या 8531-8532।

2013 के विशेष सिविल आवेदन No.9619 में 2017 के लेटर्स पेटेंट अपील No.2647 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 27.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

ग

प्रीतेश कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, कबीर हाथी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अनिरुद्ध देशमुख, निखिल गोयल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.**

अनुमति प्रदान की गई।

2. एक डिक्री धारक की मुसीबत एक डिक्री प्राप्त करने के बाद शुरू होती है।यह निष्पादन में है कि एक डिक्री धारक को अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।निर्णय के दौरान सामने आए तथ्यों के साथ, हम अपने विश्वास में मजबूत होते हैं कि इस शिकायत में सार है।

ई.

3. अपीलार्थी-बैंक ने एक फर्म (मेसर्स विमल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप फर्म) को वित्तीय सुविधा प्रदान की।तीन भागीदार थे, अर्थात्,

च

रवींद्र बालकृष्ण पटेल और निखिल बालकृष्ण पटेल

भाइयों और तीसरे व्यक्ति श्री गौतम विष्णुप्रसाद त्रिपाठी थे।चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता-बैंक द्वारा नामितों के बोर्ड के समक्ष एक लवाद सूट No.2265/1984 दायर किया गया।

जी.

गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

'अधिनियम ')।न्यायनिर्णायक निकाय ने 23.09.1988 पर एक आदेश पारित किया।आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"प्रतिवादियों को 2,61 रुपये, 314.34ps का भुगतान करना है।मुक़दमे की तारीख से वसूली तक ब्याज पी. ए. के साथ और मुक़दमे की लागत वादी को नवीनतम आई. डी. 1 तक।

एच.

7

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

Exh.6 के नीचे पारित अलंकरण आदेश को पूर्ण बना दिया गया है और वादी को G.S.I.C के खिलाफ पुरस्कार निष्पादित करने की स्वतंत्रता है।Rs.510 का लवाद शुल्क-वादी द्वारा शुल्क के रूप में सरकार को जमा किया जाना है।

तदनुसार पुरस्कार

23.09.1988 पर खुले न्यायालय में दिया और घोषित किया गया।"4. हम इस समय अधिनियम की धारा 103 को नोटिस कर सकते हैं। वह इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"103. पैसा कैसे बरामद हुआ।- पंजीयक या धारा 93 के तहत उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, या धारा 100 या 101 के तहत पंजीयक, उनके नामित व्यक्ति या नामित मंडल द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, धारा 102 के तहत अपील में पारित प्रत्येक आदेश, धारा 110 के तहत परिसमापक द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, धारा 110 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील में राज्य सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश और धारा 155 के तहत पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश, यदि लागू नहीं किया जाता है, तो -

डी.

(क) पंजीयक या परिसमापक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित सिविल न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी और उसी तरीके से निष्पादित की जाएगी जैसे ऐसे न्यायालय की डिक्री, या

ई.

च

(ख) भूमि राजस्व के बकाया की वसूली के लिए भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसी किसी राशि की इस तरह से वसूली के लिए कोई भी आवेदन कलेक्टर को किया जाएगा और उसके साथ पंजीयक या किसी सहायक पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होगा, जिसे उक्त शक्ति पंजीयक द्वारा सौंपी गई है।इस तरह का आवेदन आदेश में निर्धारित तिथि से बारह साल के भीतर किया जाएगा और यदि ऐसी कोई तारीख तय नहीं है, तो आदेश की तारीख से।"

जी.

एच.

5. अपीलार्थी-बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए आवेदन पर, अधिनियम की धारा 103 (ए) के तहत अनुध्यात प्रमाण पत्र 17.09.1995 पर जारी किया गया।अधिनियम की धारा 103 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इस मामले में अधिनियम की धारा 103 के तहत पारित आदेश को उसी तरीके से निष्पादित किया जाना है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित किया गया है, इसलिए अपीलार्थी ने शुरू में सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष निष्पादन आवेदन No.777/1995 दायर किया।ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस निष्पादन आवेदन No.777/1995 में नहीं दिया गया था और इसके अनुसार अपीलार्थी ने नोटिस देने की कोशिश की लेकिन यह विफल रहा।इसके बाद, निष्पादन न्यायालय ने 22.10.1997 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया, जो इस प्रकार हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"जब मामला सामने आता है, तो न तो डार्कहस्टदार और न ही उसका एल. ए. मौजूद होता है।रिकॉर्ड से, ऐसा प्रतीत होता है कि डार्कहस्टदार ने लंबे समय से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।हालाँकि, न्याय के हित में, डार्कहस्टदार को 27.11.1997 तक का समय दिया जाता है।यदि डार्कहस्टदार तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता है-तो 27.11.1997 पर याचिका स्वचालित रूप से खारिज हो जाएगी।"

डी.

6. इसके अलावा, 27.11.1997 पर अपीलार्थी ने एक नया पता दिया और एक आवेदन दायर किया।यह अपीलार्थी का अगला मामला है कि न्यायालय काम नहीं कर रहा था और हड़ताल हुई थी और मामला 10.12.1997 पर पोस्ट किया गया था।1995 के निष्पादन आवेदन No.777 के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाताओं के खिलाफ 8,74 रुपये की वसूली के लिए एक जंगम वारंट जारी किया गया था-दिनांक 15.07.1998 के आदेश द्वारा।02.02.2005 पर, अपीलार्थी-बैंक ने सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निष्पादन आवेदन को वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया।यह अपीलार्थी-बैंक के अनुसार उत्तरदाताओं के निवास को स्थानांतरित करके किया गया था।अपीलार्थी-बैंक के अनुसार, उक्त आवेदन की अनुमति दी गई थी और निष्पादन आवेदन को दिनांक 02.02.2005 के आदेश द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।19.01.2006 पर, अपीलार्थी ने चौथे अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (अहमदाबाद ग्रामीण) के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की।

ई.

च

जी.

7. इस समय हमें एक और पहलू पर ध्यान देना चाहिए।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता-बैंक ने मेसर्स विराट पेपर प्रोसेसर्स (एक साझेदारी फर्म) के खिलाफ एक डिक्री प्राप्त की थी जिसमें फिर से रवींद्र बालकृशन थे।

पटेल और निखिल बालकृष्ण पटेल (इसके बाद संक्षिप्त रूप से 'पटेल ब्रदर्स') हेमंत बालकृष्ण पटेल (ए नहीं) के साथ भागीदार थे।

एच.

9

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यहाँ पार्टी)।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तीनों भाई थे, हालांकि फर्म एक अलग फर्म थी।अधिनियम के तहत फिर से लवाद सूट No.576/1988 में उक्त पक्षों के खिलाफ प्राप्त मानित डिक्री को निष्पादित किया गया था।यह यहाँ है कि हमें एक अन्य व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जिसकी भूमिका बन जाएगी

स्पष्ट अर्थात, सविताबेन बालकृष्ण पटेल (मृत)-माता

पटेल ब्रदर्स, जो लेन-देन में दिए गए ऋण के लिए गारंटर के रूप में खड़े थे, जिसके कारण लवाद सूट No.576/1998 हुआ। अंततः अदालत की नीलामी में उनकी संपत्ति को बिक्री के लिए रखा गया।Rs.39,25,000/- की राशि प्राप्त की गई थी और यह जमा में पड़ी थी।पटेल भाइयों की माँ का निधन 18.06.2005 पर हुआ।

8. जिस मुकदमे से हम संबंधित हैं, उसके घटनाक्रम के संदर्भ में कथन को फिर से शुरू करते हुए, निष्पादन याचिका दायर करने के बाद, जैसा कि नए निष्पादन न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा किया गया था, जाहिरा तौर पर दूसरे मुकदमे में विकास के आधार पर, अर्थात् गारंटर के रूप में मां के दायित्व के प्रवर्तन के संबंध में अदालत की नीलामी आयोजित करने के बाद, 24.01.2007 पर एक आवेदन दायर किया गया।आवेदन का उद्देश्य न्यायालय की नीलामी में प्राप्त राशि के संबंध में मानित डिक्री की संतुष्टि प्राप्त करना प्रतीत होता है।हम केवल प्रार्थना पर ध्यान दे सकते हैं जैसा कि हम एसएलपी पेपर बुक के अनुलग्नक-पी 7 से पाते हैं, जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“ए. स्पेशल डार्कहास्ट नंबर के संबंध में। 80/99, विरोधियों की संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया शुरू करके और रुपये की राशि में बेचा गया था। 39,25,000-केवल उनतीस लाख पँचिश हजार रुपये विशेष डार्कहास्ट सं. में न्यायालय के समक्ष जमा किए जाते हैं। 80/99 और विशेष डार्कहास्ट संख्या में बकाया राशि को काटने के बाद। 80/99 ब्याज और लागत के साथ, शेष राशि जमा होने की संभावना है और वह राशि प्रतिद्वंद्वी को दी जानी है। 2 और 3 इस प्रकार, आपका सम्मान गार्निशी का आदेश पारित करने और विद्वान सिविल न्यायाधीश (एस. डी.) के न्यायालय के पंजीयक/नजीर को निर्देश देने के लिए प्रसन्न हो सकता है। साहब ने शेष जमा राशि को उक्त निष्पादन में जमा किया।

ई.

च

जी.

बी. आपके सम्मान को ऐसी अन्य और आगे की राहत देने के लिए प्रसन्न किया जा सकता है जो उचित समझा जा सकता है।

एच.

ग. आपके सम्मान को इस गार्निशी आवेदन की आदेश की एक प्रति विशेष डार्कहास्ट संख्या में रखने के लिए भेजने का आदेश पारित करने में खुशी हो सकती है। 80/99 श्री बी. बी. पाठक साहब, सिविल न्यायाधीश एस. डी. अहमदाबाद ग्रामीण के न्यायालय के समक्ष लंबित है।"

9. तत्काल मामले में फैसले के देनदार पटेल भाइयों ने अपनी आपत्तियां दायर कीं।उनकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद, निष्पादन न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"आपत्ति आवेदन Ex. 28 विरोधियों द्वारा दायर नं। 2 और 3 को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

ग

सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के प्रावधानों के तहत, प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश साहेब, अहमदाबाद (ग्रामीण) के न्यायालय के पंजीयक और नजीर को डार्कहास्ट का भुगतान करने के बाद इस डार्कहास्ट में वास्तविक शेष राशि जमा करने का आदेश दिया जाता है, ब्याज और लागत प्रतिद्वंद्वी रवींद्र बालकृष्ण के हिस्से पर आती है।

डी.

पटेल और निखिल बालकृष्ण पटेल

स्पेशल डार्कहास्ट No.80-99 में जमा की गई राशि।यह आदेश आज इस 10.04.2013 पर खुली अदालत में घोषित किया गया है।"

ई.

यह वह आदेश है जिसे पटेल भाइयों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।इससे यह व्यथित हो रहा है कि अपीलार्थी-बैंक हमारे सामने है।

च

10. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री प्रीतेश कपूर और साझेदारी फर्म सहित पटेल भाइयों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अनिरुद्ध देशमुख को भी सुना।

विवादित आदेश में अंत

11. उच्च न्यायालय ने पाया कि पहले निष्पादन न्यायालय में दायर की गई पूर्व निष्पादन याचिका, अर्थात् निष्पादन आवेदन No.777/1995, खारिज कर दी गई है, वह आवेदन जो बाद में वर्ष 2006 में दूसरे निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है, यदि हम इसे इस रूप में वर्णित कर सकते हैं तो वह बनाए रखने योग्य नहीं था।यह पाया गया है कि पहला आवेदन चूक के लिए खारिज कर दिया गया है, उचित तरीका यह होगा कि सीमा की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए।यह पाया गया है कि उक्त ए

जी.

एच.

11

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

निष्पादन आवेदन को खारिज करने का आदेश 30 दिनों की अवधि के भीतर रद्द कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 निष्पादन कार्यवाही में उपलब्ध नहीं है, बाद की निष्पादन याचिका पर रोक है।

12. इसके बाद, यह पाया जाता है कि सी. पी. सी. की धारा 38 को देखते हुए एक डिक्री को या तो उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने इसे पारित किया था या उस न्यायालय द्वारा जिसे डिक्री स्थानांतरित की गई थी।सी. पी. सी. की धारा 39 एक विशेष तंत्र प्रदान करती है जिसके द्वारा डिक्री को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है।इस मामले के तथ्यों में, यह पाया गया कि अपीलकर्ता-बैंक द्वारा उस न्यायालय में कोई दृष्टिकोण नहीं बनाया गया था जिसमें

निष्पादन याचिका मूल रूप से इसे दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दायर की गई थी जिसमें धारा 39 के तहत आदेश के बिना, अपीलकर्ता-बैंक ने वर्ष 2006 में दूसरा आवेदन दायर किया था।इसलिए, दूसरे अवसर पर निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर याचिका ही विचारणीय नहीं थी।

ग

13. इसके अलावा, न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के तहत बनाए गए आवेदन में शामिल दोष और इससे भी महत्वपूर्ण, उसके तहत पारित किए गए वास्तविक आदेश के बारे में विस्तार से बताया।उच्च न्यायालय का तर्क इस प्रकार हैः- सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के तहत आदेश पारित करने से पहले, ऋण की कुर्की होनी चाहिए।सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 के अर्थ में ऋण की कोई कुर्की नहीं थी। यह पाया गया है कि सी. पी. सी. का आदेश 21 नियम 46, जो सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के अवलोकन से स्पष्ट है, कुर्की के आदेश पर जोर देता है, एक हितकारी उद्देश्य को पूरा करता है।यह पीड़ित व्यक्ति को संलग्नक पर अपनी आपत्ति उठाने का अवसर प्रदान करता है।सम्मानित व्यक्ति को मूल्यवान अधिकार दिए जाते हैं और इस अधिकार को आदेश 21 नियम 46 सी के तंत्र के माध्यम से लागू किया जाना है। आदेश 21 नियम 58 कुर्की पर आपत्ति का प्रावधान करता है।सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 58 के तहत एक आदेश से व्यथित व्यक्ति को कानून में प्रदान किए गए अपील के रूप में आगे के अधिकार हैं।इस मामले में, यह पाया गया कि कुर्की की अनिवार्य आवश्यकता को देखे बिना यह है कि निष्पादन न्यायालय ने आदेश 21 नियम 46 ए के तहत प्रार्थना की अनुमति दी थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि निष्पादन याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने से संबंधित तर्क को निष्पादन न्यायालय के समक्ष जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसे उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं दबाया गया था।

डी.

ई.

च

जी.

दलों की सामग्री

14. श्री प्रीतेश कपूर, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ करेंगे जैसा कि हमने देखा है।वह इंगित करेगा कि केवल तथ्य यह है कि पहले

एच.

खारिज की गई निष्पादन याचिका दूसरी निष्पादन याचिका के प्रसंस्करण और विचार के रास्ते में नहीं आएगी।निष्पादन याचिका को केवल तभी खारिज किया गया था जब वह चूक के कारण था।वास्तव में, इसे स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। लेकिन भले ही इसे 1969 (1) एस. सी. सी. 718 में इस न्यायालय के फैसले द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए चूक पर खारिज कर दिया जाता है,

शिवशंकर प्रसाद शाह और अन्य बनाम बैकुंठ नाथ सिंह

और अन्य, दूसरी याचिका विचारणीय थी।उक्त निर्णय में यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. भारत में अदालतों ने आम तौर पर यह विचार रखा है कि एक निष्पादन याचिका जिसे डिक्री-धारक की चूक के लिए खारिज कर दिया गया है, हालांकि उस याचिका को खारिज करने के समय तक, निर्णय-देनदार ने एक या अधिक आधारों पर निष्पादन का विरोध किया था, कानून के अनुसार दायर नई निष्पादन याचिकाओं के अनुसरण में डिक्री के आगे के निष्पादन पर रोक नहीं लगाता है-लक्ष्मीबाई अनंत

ग

कोंडकर बनाम रायजी भीकाजी कोंडकर, (XXXI, BLR)

डी.

400).यहां तक कि धारा 47, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उठाई गई आपत्तियों के चूक के लिए बर्खास्तगी भी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम नहीं करती है जब वही आपत्तियां निष्पादन के दौरान फिर से उठाई जाती हैं-देखें

बहिर दास पाल और एक अन्य बनाम गिरीश चंद्र पाल, ए. आई. आर. 1923 कैल 287; भगवती प्रसाद साह बनाम राधा किशन साह और अन्य, ए. आई. आर. 1950 पैट 354; जेठमल और अन्य बनाम एम. एस. टी। सकीना, ए. आई. आर. 1961 राज 59; विश्वनाथ कुंडू बनाम श्रीमती। सुबाला डस्सी,

ई.

ए. आई. आर. 1962 कैल 272।हमें नहीं लगता कि निर्णय

रामनारायण बनाम बासुदेव, आई. एल. आर. XXV पैट 595 में

च

जिसे अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बहुत अधिक निर्भर रखा है, सही ढंग से तय किया गया है।इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा दायर न्यायिक याचिका अस्थिर है।"15. चूक के आधार पर पहले की निष्पादन याचिका को खारिज करने से तब तक नए सिरे से निष्पादन दायर करने पर रोक नहीं लगेगी जब तक कि दूसरी याचिका सीमा की अवधि के भीतर दायर की जाती है।इस मामले में, सीमा केवल अधिनियम की धारा 103 के तहत अनुध्यात प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही चलने लगेगी। यह प्रमाण पत्र वर्ष 1995 में प्राप्त किया गया था।इसलिए, वर्ष 2006 में दायर की गई दूसरी निष्पादन याचिका अच्छी तरह से ए थी

जी.

एच.

13

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

12 वर्ष की अवधि के भीतर और इसलिए निष्पादन याचिका वर्जित नहीं है।जहाँ तक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का संबंध है कि सी. पी. सी. की धारा 38 और 39 मामले के तथ्यों को नियंत्रित करती हैं, यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय ने इस मामले में निम्नलिखित एक महत्वपूर्ण विशेषता को ध्यान में नहीं रखते हुए गलती की है।यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दीवानी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया हो।जो हुआ है वह अधिनियम के संदर्भ में अपीलार्थी-बैंक, जो एक लेनदार है, के दावे पर है, इस मामले का निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में किया गया था।निर्णय के अंत में, वादी के सफल होने पर, एक पुरस्कार पारित किया गया।पुरस्कार पारित होने के बाद प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है।यह प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 103 के तहत दिया जाता है। अधिनियम की धारा 103 के तहत दिए गए प्रमाण पत्र के परिणामस्वरूप केवल पारित आदेश एक डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य बन जाता है।वह आगे बताते हैं कि प्रमाण पत्र पारित होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आदेश एक डिक्री था।कानून जो कुछ भी प्रदान करता है वह यह है कि यह एक डिक्री के रूप में लागू करने योग्य है।वह प्रस्तुत करेगा कि इसी तरह के प्रावधान

ग

ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में निहित हैं।

16. उन्होंने इस संबंध में इस फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

डी.

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल समद में अदालत ने रिपोर्ट दी

और दूसरा, (2018) 3 एस. सी. सी. 622।इसमें यह न्यायालय उस प्रश्न पर विचार कर रहा था जो इस मामले के तथ्यों में उत्पन्न होने वाले प्रश्न के समान था, अर्थात्, क्या निष्पादन याचिका दायर करना सी. पी. सी. की धारा 38 और 39 के तहत प्रदान की गई व्यवस्था द्वारा नियंत्रित है। हम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“14. अब हम उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे, विशेष रूप से धारा 36 (1), जो पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित हैः

“36. प्रवर्तन।— (1) जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 से 1908) के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री थी।"

च

जी.

उपरोक्त प्रावधान से पता चलेगा कि एक पुरस्कार को उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाना है जैसे कि यह एक डिक्री हो।यह है,

एच.

इस प्रकार, प्रवर्तन तंत्र, जो एक डिक्री के प्रवर्तन के समान है, लेकिन पुरस्कार स्वयं दीवानी अदालत का डिक्री नहीं है क्योंकि दीवानी अदालत द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जाती है।यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण है, जो एक निर्णय देता है और न्यायाधिकरण के पास डिक्री के निष्पादन की शक्ति नहीं है।एक डिक्री के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए पुरस्कार को उसी तरह से लागू किया जाना है जैसे कि यह उक्त संहिता के तहत एक डिक्री थी।20. इस प्रकार, हमारा बिना किसी हिचकिचाहट के यह विचार है कि उसके निष्पादन के माध्यम से किसी निर्णय के प्रवर्तन को देश में कहीं भी दायर किया जा सकता है जहां इस तरह की डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है और अदालत से डिक्री के हस्तांतरण को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा।"

ग

17. इसलिए वह प्रस्तुत करेंगे कि एक बार दूसरे आवेदन को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया गया था, तो न्यायालय में एक नई निष्पादन याचिका दायर की जा सकती है जिसका अधिकार क्षेत्र होगा।दूसरे न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण उस

न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निर्णय देनदारों के निवास के तत्व या अदालत की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर संपत्ति के अस्तित्व के संदर्भ में किया जाना चाहिए।जहाँ तक यह निष्कर्ष है कि सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 को अदालत द्वारा सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए को पारित करने से पहले इसके उल्लंघन में देखा गया था, वह प्रस्तुत करेंगे कि मामले में सम्मानित व्यक्ति पटेल भाइयों की मां नहीं है।वास्तव में, माता का वर्ष 2005 में निधन हो गया था और आवेदन वर्ष 2007 में ही दायर किया गया था।अपीलार्थी का मामला यह है कि उक्त मामले में डिक्री ऋण को संतुष्ट करने के बाद अपीलार्थी द्वारा दायर अन्य मुकदमे में डिक्री के निष्पादन में नीलामी आयोजित होने के बाद, एक अतिरिक्त राशि थी।यह माँ का था और यह जमा में पड़ा था और चूंकि माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह न्यायालय के नजीर द्वारा उक्त मामले में निर्णय देनदारों को देय हो गया, जिनमें से दो निर्णय देनदार हैं क्योंकि इस मामले में भी पटेल भाई शामिल हैं।इसलिए, तर्क यह है कि यह अदालत नजीर है जो इस मामले में शामिल पटेल भाइयों सहित निर्णय देनदारों को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए एक दायित्व या ऋण के तहत था।वह आगे प्रस्तुत करेगा कि सी. पी. सी. की धारा 51 के तहत निष्पादन न्यायालय को उपलब्ध व्यापक शक्तियों के संदर्भ में कि किसी भी दर पर यह ए होगा

डी.

ई.

च

जी.

एच.

15

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

डिक्री धारक को उसकी डिक्री के फल से वंचित करना और न्यायालय को उसी न्यायालय में जमा राशि में पड़े निर्णय देनदारों की संपत्तियों को प्राप्त करने से प्रतिबंधित करना अत्यधिक अन्यायपूर्ण है।दूसरे शब्दों में, दूसरे मामले में अपीलार्थी के डिक्री ऋण को संतुष्ट करने के बाद और गारंटर (मां) की मृत्यु के बाद निर्णय देनदारों को देय अदालत की नीलामी की आय दूसरे निष्पादन न्यायालय के जमा में पड़ी थी।धारा 51 के तहत उपलब्ध शक्तियों के बल पर और सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति के बल पर, न्यायालय को डिक्री धारक द्वारा विनियोग के लिए उक्त राशि उपलब्ध कराने की शक्ति दी जानी चाहिए।18. प्रति-अनुबंध, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, श्री अनिरुद्ध देशमुख दलीलों का कड़ा विरोध करते हैं।वह इंगित करेंगे कि जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा सी. पी. सी. की धारा 38 और 39 के तहत दी गई व्याख्या का संबंध है, यह असाधारण है। जब इस न्यायालय के फैसले का सामना किया जाता है, तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाता है, तो वह उक्त फैसले में अंतर करने का प्रयास करता है।इस प्रयास को अधिनियम की धारा 103 में पाए जाने वाले 'सी. पी. सी. की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित डिक्री' शब्दों के संदर्भ में बढ़ावा दिया गया है। वह प्रस्तुत करेगा कि अधिनियम का यह विशिष्ट पाठ जिसके साथ यह न्यायालय संबंधित है, इस न्यायालय के फैसले द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता है।उन्होंने आगे बताया कि उच्च न्यायालय आदेश 21 नियम 46 और आदेश 21 नियम 46 ए की अपनी व्याख्या में पूरी तरह से सही था। उन्होंने इस संबंध में उच्च न्यायालयों के तीन निर्णयों में अपने तर्क का समर्थन किया जो

ग

डी.

ई.

वे इस प्रकार हैंः- नुथलपति कोटैया बनाम गुंटूर में कार्यकारी अधिकारी टी. टी. डी. कार्यालय, (1985) 3 ए. पी. एल. जे. 103, मदुरै शहर नगर निगम, जिसका प्रतिनिधित्व इसके आयुक्त, मदुरै बनाम एन. बास्करा पांडियन और एक अन्य, 1998

एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 75 और कार्यकारी अभियंता, टी. सी. प्रभाग, के. एस. ई. ने किया। बोर्ड, पालघाट बनाम जे. एच. शर्मा और दूसरा, ए. आई. आर. 1988 केर। 285.वह प्रस्तुत करेगा कि

च

सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के साथ पठित आदेश 21 नियम 46 और इन प्रावधानों को सफल बनाने वाले प्रावधान एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसका उद्देश्य गार्निशी के हितों की रक्षा करना है।अनिवार्य शासन से कोई भी विचलन गार्निशी के लिए गंभीर अन्याय तक पहुंच जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया और उसके द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में भी प्रतिध्वनित हुआ।वह आगे इंगित करेंगे कि सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 52 में वर्तमान जैसे मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है।सी. पी. सी. का आदेश 21 नियम 52 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

एच.

16

आदेश 21 नियम 52:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

52. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की।— जहाँ कुर्क की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहाँ कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को एक सूचना द्वारा की जाएगी, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि ऐसी संपत्ति, और उस पर देय होने वाला कोई ब्याज या लाभांश, उस न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन रखा जा सकता है जिससे सूचना जारी की जाती हैः

बशर्ते कि, जहां ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, वहां डिक्री धारक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच उत्पन्न होने वाले स्वामित्व या प्राथमिकता का कोई प्रश्न, जो निर्णय-देनदार नहीं है, जो किसी समनुदेशन, कुर्की या अन्यथा के आधार पर ऐसी संपत्ति में रुचि रखने का दावा करता है, ऐसे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

ग

19. वह प्रस्तुत करेगा कि चूंकि अपीलकर्ता माँ (मृतक) के गार्निशी होने के आधार पर किसी मामले की पैरवी नहीं कर रहा है और यदि न्यायालय अधिकारी के गार्निशी होने के आधार पर आगे का मामला जमीन पर गिरता है, तो एकमात्र स्पष्ट प्रावधान जिसे सीपीसी की धारा 51 और आदेश 21 नियम 11 दोनों में पाए गए अवशिष्ट खंड को प्रभावी बनाने के रूप में समझा जाना चाहिए, का पालन किया जाना चाहिए।सी. पी. सी. की धारा 51, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार प्रदान करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

51. निष्पादन को लागू करने के लिए न्यायालय की शक्तियाँ।—ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, न्यायालय, डिक्री धारक के आवेदन पर, डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकता है-(ए) विशेष रूप से घोषित किसी भी संपत्ति के वितरण द्वारा; (बी) कुर्की और बिक्री द्वारा या किसी भी संपत्ति की कुर्की के बिना बिक्री द्वारा;

ई.

च

((ग) गिरफ्तारी और कारावास में निरोध द्वारा (ऐसी अवधि के लिए जो धारा 58 में निर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो, जहां उस धारा के तहत गिरफ्तारी और निरोध की अनुमति है);

((घ) प्राप्तकर्ता नियुक्त करके; या

जी.

(ई) इस तरह से अन्य रूप से प्रदान की गई राहत की प्रकृति की आवश्यकता हो सकती हैः

20. इसी तरह, हम पाते हैं कि जब एक निष्पादन याचिका दायर की जाती है, तो आवेदक उस राहत की प्रकृति को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य होता है जो वह चाहता है।अस्वाभाविक रूप से 'ए' के रूप में शब्दों की प्रतिकृति नहीं है।

एच.

17

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

आवश्यकता पड़ सकती है।वह अभी भी यह इंगित करेंगे कि सी. पी. सी. का आदेश 21 नियम 46 ए एक अन्य दुर्जेय कारण से अपीलार्थी के लिए उपलब्ध नहीं था।आदेश 21 नियम 46 स्पष्ट रूप से उस चल संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होता है जो निर्णय देनदार के कब्जे में नहीं है जहां संपत्ति न्यायालय में या उसकी अभिरक्षा में जमा की गई है।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि यदि न्यायालय की नीलामी में प्राप्त धन को संपत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है और इसे न्यायालय में जमा किया जाता है, तो आदेश 21 नियम 46 के स्पष्ट प्रावधान को देखते हुए, यह लागू नहीं होता है।आदेश 21 नियम 46 के बाद आदेश 21 नियम 46 ए की योजना उपलब्ध नहीं हो सकती है और इससे आदेश 21 नियम 52 के तहत निपटा जा सकता है।वह अंत में यह तर्क देते हुए निष्कर्ष निकालेंगे कि तथ्यों पर अपीलार्थी के लिए डिक्री के फल को प्राप्त करने में एक और बाधा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार के अवलोकन से पता चलेगा कि निर्णय देनदारों ने किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ पुरस्कार प्राप्त किया है।पुरस्कार में यह आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी इस मामले में अपीलार्थी के पक्ष में दी गई राशि की प्राप्ति में उक्त पुरस्कार को निष्पादित करने का हकदार होगा।इसका हिसाब नहीं दिया गया है।यह इंगित किया गया है कि उक्त प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से शुरू करना होगा, भले ही यह न्यायालय अपीलार्थी को कोई राहत देने के लिए इच्छुक हो।

ग

डी.

अंतरण

21. पहला सवाल जिस पर हमें विचार करना है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन याचिका को स्पष्ट रूप से चूक या पहली निष्पादन याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज करने के परिणामस्वरूप दूसरी निष्पादन याचिका दायर करने या उस पर मुकदमा चलाने पर रोक लगेगी।इस संबंध में, वास्तव में, हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रत्यर्थी का विद्वान वकील अपीलार्थी की इस दलील पर कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहता है कि दूसरा निष्पादन आवेदन बनाए रखने योग्य होगा बशर्ते कि यह सीमा की अवधि के भीतर हो।हम अपीलार्थी की दलीलों में यह भी योग्यता पाते हैं कि चूक के आधार पर पहले आवेदन को केवल खारिज करने के परिणामस्वरूप डिक्री धारक को एक नई निष्पादन याचिका दायर करने से रोका नहीं जा सकता है बशर्ते कि यह समय के भीतर हो।22. यह हमें सीमा के पहलू पर लाता है।हालांकि निष्पादन न्यायालय के समक्ष सीमित करने की याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान की धारा 136 के तहत विशेष अवकाश देने से उत्पन्न अपील में कानून के शुद्ध प्रश्न को उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है।हम केवल यह देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 103 में पंजीयक या परिसमापक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार किया गया है।यह पहले किया जाना है

ई.

च

जी.

एच.

18

शब्दों की आवश्यकता के अनुसार 'यदि पूरा नहीं किया जाएगा'।दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 103 जिस पर विचार करती प्रतीत होती है, वह यह है कि प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लेने के बाद, जिसमें उससे की गई कोई भी अपील शामिल होगी, पारित आदेश को, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीयक या परिसमापक द्वारा प्रमाणित किया जाना है।यह एक प्रावधान के रूप में एक दीवानी न्यायालय की डिक्री को जन्म देगा।इस मामले में, हम केवल यह देख सकते हैं कि एक पुरस्कार वर्ष 1988 में पारित किया गया था और प्रमाण पत्र वर्ष 1995 में जारी किया गया था।प्रमाणपत्र के लिए अपीलार्थी द्वारा आवेदन कब किया गया था और प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने में कितना समय लिया गया था, ये सभी मामले रहस्य में डूबे हुए हैं। अपीलार्थी के लिए एक मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की आशंका है कि यदि लेनदार एक डिक्री को निष्पादित करने के लिए प्रदान किए गए समय से अधिक समय के लिए भी मामले पर सो जाता है और बहुत देरी से आवेदन करता है तो इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से असमान स्थिति पैदा नहीं हो सकती है क्योंकि तथ्य अन्यथा बोलते हैं।हालाँकि हम इस मामले में अधिक विस्तार से इस प्रश्न पर जाने का इरादा नहीं रखते हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसका पालन नहीं किया गया था।

ग

डी.

23. अगला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह सी. पी. सी. की धारा 38 और 39 की परस्पर क्रिया का प्रभाव है। वे इस प्रकार हैंः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

38. न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकती है।—एक डिक्री या तो उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकती है जिसने इसे पारित किया है, या उस न्यायालय द्वारा जिसे इसे निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

ई.

39. डिक्री का हस्तांतरण।—(1) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, डिक्री धारक के आवेदन पर, इसे [सक्षम अधिकार क्षेत्र के] किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है, -

(क) यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है, वास्तव में और स्वेच्छा से ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहता है या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, या

च

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति के पास न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई संपत्ति नहीं है, जिसने ऐसी डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त डिक्री पारित की है और उसके पास ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति है, या

जी.

एच.

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

(ग) यदि डिक्री उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण का निर्देश देती है, जिसने इसे पारित किया था, या (घ) यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से विचार करता है, जिसे वह लिखित रूप में दर्ज करेगा, कि डिक्री को ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।

(2) जो न्यायालय एक डिक्री पारित करता है, वह अपने स्वयं के प्रस्ताव से इसे सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में निष्पादन के लिए भेज सकता है।

ग

[(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक न्यायालय को सक्षम अधिकारिता का न्यायालय माना जाएगा, यदि उसे डिक्री के हस्तांतरण के लिए आवेदन करते समय, ऐसे न्यायालय को उस मुकदमे का परीक्षण करने की अधिकारिता होगी जिसमें ऐसी डिक्री पारित की गई थी।][(4) इस धारा की कोई भी बात उस न्यायालय को अधिकृत करने वाली नहीं मानी जाएगी जिसने अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ ऐसी डिक्री को निष्पादित करने के लिए डिक्री पारित की थी।]यह स्पष्ट है कि सी. पी. सी. की योजना के तहत, यदि कोई डिक्री सिविल कोर्ट द्वारा पारित की जाती है, तो या तो वह कोर्ट जिसने डिक्री पारित की है, उसे निष्पादित कर सकता है या जिस कोर्ट को डिक्री हस्तांतरित की गई है, वह डिक्री को निष्पादित कर सकता है।सी. पी. सी. की धारा 39 हस्तांतरणकर्ता न्यायालय की शक्तियों की बात करती है।यह उस अदालत में आवेदन करने वाले डिक्री धारक के लिए भी प्रावधान करता है जिसने डिक्री पारित की थी।हालाँकि, सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था इस मामले के तथ्यों में लागू होती है।हमने देखा है कि इस न्यायालय के निर्णय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के संदर्भ में कोई संदेह नहीं दिया है।प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उक्त निर्णय में अंतर करने के लिए हमारे सामने जो एकमात्र बिंदु उठाया गया है, वह यह है कि अधिनियम की धारा 103 में 'सी. पी. सी. की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित डिक्री' शब्दों के उपयोग को देखते हुए, सिद्धांत उपलब्ध नहीं हो सकता है।

डी.

ई.

च

24. हमारा विचार है कि प्रतिवादियों को इस कोर्ट सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले में अंतर करने की मांग में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।यह संदेह के क्षेत्र में नहीं हो सकता है कि जब प्राधिकरण ने अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित किया था, तो यह एक दीवानी न्यायालय था।यह सी. पी. सी. की धारा 38 के अर्थ में एक न्यायालय नहीं है। यदि ऐसा कोई न्यायालय नहीं है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने इस मामले में पुरस्कार पारित किया है, तो यह अकल्पनीय है।

जी.

एच.

इस बारे में कि इसे उसी सांस में कैसे बनाए रखा जा सकता है कि किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन कार्यवाही को बनाए रखना अपरिहार्य है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, उसे कार्यवाही को अनिवार्य रूप से बाद के न्यायालय में स्थानांतरित करना होगा।सी. पी. सी. की धारा 39 के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, दूसरे शब्दों में, एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसने एक डिक्री पारित की हो।सी. पी. सी. के संदर्भ में, हमारा विचार है कि इन मामलों में धारा 38 के अर्थ में ऐसा कोई न्यायालय नहीं है।इसके बजाय, हमारे पास वह है जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थता कार्यवाही है और जो उक्त प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है वह केवल एक डिक्री के प्रभाव से ढका होता है और यह एक डिक्री के रूप में लागू करने योग्य होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रमाण पत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप एक मानित डिक्री बनी।ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं के तर्क में कोई योग्यता नहीं है।सी. पी. सी. की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित 'डिक्री' शब्दों की उपस्थिति के आधार पर निर्णय में अंतर करने का प्रयास भी उतना ही गलत है।यही कारण है कि हम सोचेंगे कि अधिनियम की धारा 103 में उपयोग किए गए 'सी. पी. सी. की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित डिक्री' शब्द अधिक स्पष्टता के साथ और प्रचुर सावधानी के साथ डिक्री की अवधारणा को मजबूत करने के लिए हैं।इन शब्दों की मात्र उपस्थिति अपने आप में उस सिद्धांत को अलग करने के प्रयास का समर्थन नहीं कर सकती है जो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय में निर्धारित किया गया है, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि सी. पी. सी. की धारा 38 और 39 लागू नहीं हैं, डिक्री धारक किसी भी न्यायालय में डिक्री को निष्पादित करने की कोशिश कर सकता है जो अन्यथा अधिकार क्षेत्र है।इसका मतलब यह होगा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है और पलटने योग्य है।

ग

डी.

ई.

25. यह हमें इस न्यायालय के समक्ष बहस की गई मूल दलीलों में से अंतिम पर लाता है।निस्संदेह, सी. पी. सी. का आदेश 21 नियम 46 ए निष्पादन से संबंधित प्रावधानों की योजना का हिस्सा है और इसे उन राहतों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिनका दावा डिक्री धारक द्वारा किया जा सकता है जैसा कि सी. पी. सी. की धारा 51 और आदेश 21 नियम 11 दोनों में प्रदान किया गया है। हम पहले ही धारा 51 पर ध्यान दे चुके हैं और हमने आदेश 21 नियम 11 पर भी ध्यान दिया है।कानून निर्माता ने इन उपशीर्षकों में से प्रत्येक के तरीके को विस्तार से बताया है जिसके तहत एक डिक्री धारक एक डिक्री निष्पादित कर सकता है।उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की कुर्की के पहलू को सी. पी. सी. के आदेश 21 में अलग से निपटाया गया है, और पालन की जाने वाली प्रक्रिया को इसके तहत विस्तृत किया गया है।आदेश 21 नियम 46 स्पष्ट रूप से ऋण, शेयर और अन्य संपत्ति की कुर्की से संबंधित है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि ऋण, शेयर और अन्य संपत्ति निर्णय देनदार के कब्जे में नहीं होनी चाहिए ताकि ए.

च

जी.

एच.

21

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

आदेश 21 नियम 46।अपवाद 'ऐसी अन्य संपत्ति' के संबंध में है जो हालांकि निर्णय देनदार के कब्जे में नहीं है, संपत्ति जमा है या किसी भी न्यायालय की अभिरक्षा में है।दूसरे शब्दों में, ऐसी संपत्ति के संबंध में आदेश 21 नियम 46 और इसलिए आदेश 21 नियम 46 ए लागू नहीं होगा।सी. पी. सी. का आदेश 21 नियम 46 ए वास्तव में 1976 के अधिनियम 104 द्वारा 01.02.1997 से प्रभावी किया गया था।इसी तरह बाकी प्रावधान भी हैं जिनमें सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 बी से आदेश 21 नियम 46 आई शामिल हैं। यह योजना इस प्रकार दिखाई देगी।ऋण, शेयर और अन्य संपत्ति के मामले में जो आदेश 21 नियम 46 द्वारा कवर किया गया है, प्रक्रिया एक कुर्की के साथ शुरू होती है।यह एक लिखित आदेश द्वारा किया जाना है।

यह आदेश ऋण की वसूली करने वाले लेनदार और देनदार को अदालत के अगले आदेश तक भुगतान करने से रोकता है।इस प्रकार पक्षों को प्रतिबंधित करने वाले आदेश की प्रति न्यायालय के एक विशिष्ट भाग पर चिपकाई जानी है और एक अन्य प्रति देनदार को भेजी जानी है।निर्णय देनदार के देनदार को भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है।वह न्यायालय में ऋण की राशि का भुगतान कर सकता है और इस तरह का भुगतान उसके लिए एक निर्वहन होगा जैसे कि उसने अपने तत्काल लेनदार को भुगतान किया हो।26. सी. पी. सी. का आदेश 21 नियम 46 ए, फिर गार्निशी को दिए जाने वाले नोटिस से संबंधित है।एक गार्निशी स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्णय देनदार का ऋणी है।इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 'ए' पर 'बी' का कर्ज है, 'बी' पर 'सी' का कर्ज है, 'सी' पर 'ए' का कर्ज है।'ए 'को तब' बी 'को भुगतान करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।'बी 'को' ए 'से ऋण प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

ग

डी.

ई.

27. आदेश 21 नियम 46 ए से यह स्पष्ट है कि ऋण के मामले में जिसे सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 में बताए गए ऋण के रूप में समझा जाना चाहिए, कानून निर्माता द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि ऋण आदेश 21 नियम 46 के तहत कुर्क किया गया होगा।ऋण के संबंध में एक और योग्यता है।आदेश 21 नियम 46 ए, बंधक या शुल्क द्वारा सुरक्षित ऋण को छोड़कर।एक बार इन शर्तों को पूरा करने के बाद, 'संलग्नक लेनदार' द्वारा एक आवेदन किए जाने पर गार्निशी को एक नोटिस जारी किया जा सकता है, जो हमारे दिए गए उदाहरण में, 'ए' है जो उसे या तो ऋण का भुगतान करने के लिए कहता है या उसका इतना हिस्सा जो डिक्री और निष्पादन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा या कारण दिखाएगा कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए।आदेश 21 नियम 46 बी के तहत, यदि गार्निशी तुरंत राशि का भुगतान नहीं करता है या वह कारण बताए जाने के मामले में पेश नहीं होता है, तो अदालत को गार्निशी को नोटिस की शर्तों का पालन करने का आदेश देने का अधिकार है।न्यायालय है

च

जी.

एच.

आगे बढ़ने के लिए सशक्त जैसे कि गार्निशी के खिलाफ एक डिक्री है।आदेश 21 नियम 46 सी इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

46-ग. विवादित प्रश्नों का परीक्षण।—जहां अधिभोगकर्ता विवाद देयता, न्यायालय आदेश दे सकता है कि दायित्व के निर्धारण के लिए आवश्यक किसी भी मुद्दे या प्रश्न का परीक्षण इस तरह किया जाएगा जैसे कि यह किसी मुकदमे में एक मुद्दा था, और ऐसे मुद्दे के निर्धारण पर ऐसा आदेश या आदेश देगा जो वह उचित समझेः

परन्तु यदि वह ऋण जिसके संबंध में नियम 46-क के अधीन आवेदन किया जाता है, न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता से परे धन राशि के संबंध में है, तो न्यायालय निष्पादन मामले को उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय को भेजेगा जिसके अधीन उक्त न्यायालय है, और उसके बाद जिला न्यायाधीश का न्यायालय या कोई अन्य सक्षम न्यायालय जिसे जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, उससे उसी तरह से निपटेगा जैसे कि मामला मूल रूप से उस न्यायालय में स्थापित किया गया था।

ग

डी.

इसलिए, यह स्पष्ट है कि कानून निर्माता ने सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के तहत अनिवार्य रूप से शामिल कुर्की को चुनौती देने के लिए उसे सशक्त बनाने के रूप में गार्निशी को अमूल्य अधिकार प्रदान करने पर विचार किया है। यदि कुर्की सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 के तहत की जाती है, तो यह उसके लिए आदेश 21 नियम 58 के तहत पूछताछ करने के लिए खुला होगा।यदि आदेश 21 नियम 46 ए के तहत आदेश का पालन किया जाता है, तो वह आदेश 21 नियम 46 सी के तहत अपने दायित्व पर विवाद कर सकता है। इस संबंध में, हम केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं,

ई.

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टी. सी. डिवीजन, के. एस. ई. बोर्ड, पालघाट बनाम जे. एच. शर्मा में और एक अन्य ने ए. आई. आर. 1988 केर 285 में रिपोर्ट किया।

च

एक खंड पीठ द्वारा और यू. एल. भट, जे. के माध्यम से बोलते हुए उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

> “5. डिक्री के निष्पादन में ऋण की संलग्नक के बारे में ओ. XXI के आर. 46 में बताया गया है। संलग्नक लिखित आदेश द्वारा किया जाना है जिसमें लेनदार को ऋण की वसूली करने और ऋणी को अदालत के अगले आदेश तक उसका भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है।उप -आर. 46 के आर. (3) में कहा गया है कि इस प्रकार निषिद्ध ऋणी न्यायालय में ऋण की राशि का भुगतान कर सकता है।यह केवल एक सक्षम प्रावधान है।आर. 46 में कुछ भी नहीं है जो ए

जी.

एच.

23

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ऋणी को अदालत में ऋण की राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है।

6 ए. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर. 46 में कोई भी प्रावधान नहीं है जो गार्निशी को कोई आपत्ति उठाने में सक्षम बनाता है, हालांकि यह गार्निशी को अदालत में भुगतान करके आदेश के अधीन होने का अवसर देता है।अगला कदम आर. 46 ए द्वारा प्रदान किया गया है। उसे या तो अदालत में राशि का भुगतान करने के लिए या कारण दिखाने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए।आर. 46 बी के अनुसार, जहां वह अदालत में राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और नोटिस के जवाब में उपस्थित होने और कारण दिखाने में भी विफल रहता है, तो अदालत उसे नोटिस की शर्तों का पालन करने का आदेश दे सकती है और ऐसे आदेश पर निष्पादन जारी कर सकता है जैसे कि ऐसा आदेश उसके खिलाफ एक डिक्री थी।यह आर. 46 बी के तहत नोटिस के संदर्भ में जवाब देने में उनकी विफलता का परिणाम है। जहाँ वह उपस्थित होता है और अपने दायित्व आर. 46 सी पर विवाद करता है, वहाँ यह आवश्यक है कि अदालत को प्रश्न का निर्णय इस तरह करना चाहिए जैसे कि यह किसी मुकदमे में एक मुद्दा हो और ऐसे मुद्दे के निर्धारण पर अदालत को ऐसा आदेश पारित करना चाहिए जो वह उचित समझे।न्यायालय गार्निशी द्वारा उठाए गए तर्क को बरकरार रख सकता है या उसके तर्क को अस्वीकार कर सकता है और उचित आदेश पारित कर सकता है।इस तरह का आदेश आर. 46 एच के तहत अपील योग्य है। इस प्रकार नियमों की योजना गार्निशी को यह कारण दिखाने के लिए एक विशिष्ट अवसर देने पर विचार करती है कि उसे अदालत में राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।यदि वह कोई आपत्ति उठाता है तो अदालत का कर्तव्य है कि वह आपत्ति पर विचार करे और उचित आदेश पारित करे।नियमों के अनुसार उसे आर. 46 ए के तहत कारण बताने का नोटिस प्राप्त करने से पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि जब निर्णय से पहले कुर्की की गई थी तो

उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए आपत्ति दर्ज नहीं की थी, उपरोक्त नियमों के तहत आपत्ति उठाने का उसका अधिकार नहीं छीनता है।इसी तरह, हम आंध्र उच्च न्यायालय के फैसले को भी देख सकते हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

प्रदेश ने (1985) 3 ए. पी. एल. जे. 103, नुथलपति कोटैया बनाम गुंटूर में कार्यकारी अधिकारी टी. टी. डी. कार्यालय में रिपोर्ट की, जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया।

इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

6. नोटिस या समन की सेवा के लिए, आदेश 5 सी. पी. सी. प्रतिवादी या प्रतिवादी को नोटिस देने में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है, जैसा भी मामला हो।आदेश 21 नियम 46-ए न्यायालय को गार्निशी को नोटिस जारी करने की शक्ति देता है लेकिन भाषा को 'मई' के रूप में जोड़ता है।जब कोई कानून किसी कर्तव्य का निर्माण करता है, तो न्यायिक विचार के लिए पहले प्रश्नों में से एक यह है कि इसके उल्लंघन के लिए मंजूरी क्या है या कर्तव्य के प्रदर्शन को मजबूर करने का तरीका क्या है।यह प्रश्न आमतौर पर एक जांच में खुद को हल करता है कि क्या प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका।, चाहे वह निरपेक्ष हो या विवेकाधीन।यदि यह निर्देशिका है, तो न्यायालय प्रदर्शन को मजबूर करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या अधिनियम में अयोग्यता नहीं है।लेकिन यदि अधिनियम अनिवार्य है, तो अवज्ञा के कानूनी परिणाम होते हैं जो कानून के अनुसार प्राप्त सार्वजनिक या निजी उपचार का रूप ले सकते हैं।तथापि, यह निर्माण का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां किसी न्यायालय या लोक अधिकारी को उस कार्य के निष्पादन पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग किए जाने के उद्देश्य से शक्ति दी जाती है, जिसके लिए वे इसके प्रयोग की मांग करने के हकदार हैं, तो उस शक्ति का उपयोग उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे दिया गया था।यद्यपि 'मई' शब्द एक सक्षम करने वाला शब्द प्रतीत होता है, जब शक्ति का उद्देश्य किसी कानूनी अधिकार को प्रभावित करना होता है, तो इसे अनिवार्य माना जाना चाहिए और इसके स्थान पर 'होगा' होना चाहिए।

ग

डी.

ई.

मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश

नगर निगम, जिसका प्रतिनिधित्व इसके आयुक्त, मदुरै बनाम एन. बास्करा पानियन और एक अन्य, 1998 एससीसी ऑनलाइन मैड ने किया

च

75 , इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सवाल पर विचार करते समय कि क्या सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 के तहत एक नई कुर्की की आवश्यकता है, जब निर्णय से पहले एक कुर्की है, यह विचार लिया कि पहले की कुर्की पर्याप्त होगी।28. इस मामले में, जमा में पड़े धन के रूप में ऋण की कोई कुर्की नहीं होती है।जो आदेश पारित किया जाता है वह स्पष्ट रूप से आदेश 21 नियम 46 ए के तहत किया जाता है। निश्चित रूप से, यह वह तरीका नहीं है जिसमें आदेश 21 नियम 46 ए के अर्थ के भीतर एक आदेश पारित किया जा सकता था। एक निश्चित योजना है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है जो आदेश 21 नियम 46 के अवलोकन से और वर्ष 1976 के संशोधन द्वारा कानून में बाद के परिवर्धन से स्पष्ट है जो आदेश 21 ए में निहित है।

जी.

एच.

25

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

आदेश 21 नियम 46I के लिए नियम 46 ए। यह स्पष्ट रूप से प्रावधानों के अनिवार्य होने की ओर इशारा करेगा।इसलिए, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही प्रतीत होता है कि निष्पादन न्यायालय को सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 46 ए के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आदेश 21 नियम 46 के तहत ऋण को कुर्क करना चाहिए था।

29. इस मामले में, हमें आगे यह ध्यान रखना चाहिए कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी गारंटर (पटेल भाइयों की मां) गार्निशी नहीं है।वास्तव में, हम इस बारे में सोचने में असमर्थ हैं कि कैसे कहा जा सकता है कि पटेल भाइयों की माँ को अपने बेटों के लिए कोई पैसा देना है।कम से कम हमारे सामने यह संकेत देने के लिए कुछ भी दबाव नहीं डाला गया है कि माँ गार्निशी कैसे हो सकती है।

ग

30. हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि यह माँ नहीं है और वास्तव में अपीलार्थी को यह भी पता था कि माँ आवेदन करने की तारीख तक जीवित नहीं थी और इसलिए माँ के खिलाफ कोई आदेश नहीं हो सकता था।तर्क यह है कि नीलामी के बाद, दूसरे मुकदमे में निर्णय ऋण से अधिक राशि न्यायालय के खाते में आती है और इसलिए न्यायालय का अधिकारी देनदार बन जाता है या यह अधिकारी ही अधिग्राही होगा।इस तर्क को स्वीकार करने के बारे में हमारी आपत्तियाँ हैं। आदेश 21 नियम 46 अन्य बातों के साथ-साथ ऋण पर विचार करता है।नज़ीर को ऋणी की स्थिति में रखना मुश्किल है।हम इस मामले के तथ्यों में नज़ीर के बीच के संबंध को नहीं समझ सकते हैं और दूसरे मामले में निर्णय देनदार क्रमशः देनदार और लेनदार हैं।इसलिए, हम सोचेंगे कि इस तरह का अनुप्रयोग ही त्रुटिपूर्ण हो सकता है।31. हालाँकि, इस मामले के तथ्यों में एक और पहलू बना हुआ है।ऐसा प्रतीत होता है कि जिस राशि के लिए गारंटर (पटेल भाइयों की मां) की संपत्ति बेची गई थी, वह Rs.39,25,000/- थी।निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 03.02.2007 आदेश है।उक्त आदेश ने न्यायालय की नीलामी में प्राप्त राशि को निम्नलिखित तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया:- Rs.18,56,750/- का भुगतान अपीलार्थी को लवाद सूट No.576/1988 में मानित डिक्री के कारण किया जाना था और रु। 6,89,416-वर्तमान मामले में दोनों पटेल भाइयों को प्रत्येक का भुगतान किया जाना था।इसके अलावा रुपये. 6,89,416-का भुगतान पटेल भाइयों के एक अन्य भाई को भी किया जाना था जो उस फर्म में भागीदार था जो दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी था।इसलिए हमारे सामने जो स्थिति है, वह वह राशि है जो अतिरिक्त राशि के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है जो अदालत में जमा होती है, यानी निखिल बालकृष्ण के कारण कुल रु.

डी.

ई.

च

जी.

पटेल और रु। 6,89,416-रवींद्र बालकृष्ण पटेल को।हम नहीं हैं।

एच.

26

यह निश्चित है कि रुपये 6,89,416 की राशि का क्या हुआ है-जो

इसे हेमंत बालकृष्ण पटेल के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया है।हेमंत

बालकृष्ण पटेल वर्तमान मुकदमे में पक्षकार नहीं हैं।32. यहां तक कि आदेश 21 नियम 46 ए के तहत दायर आवेदन में मौजूद दोष के आधार पर और इसके अलावा आदेश 21 नियम 46 के तहत धन को संलग्न नहीं करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर भी आगे बढ़ते हुए, सवाल यह उठेगा कि क्या जिस शिकायत के साथ हमने निर्णय में शुरुआत की थी, अर्थात् डिक्री धारक की परेशानियों का कुछ निवारण होना चाहिए।यह पुरस्कार लगभग 34 साल पहले वर्ष 1988 में पारित किया गया था।पटेल भाइयों की मां की मृत्यु पर जमा की गई राशि स्वाभाविक रूप से उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की होगी। हमने प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील से सवाल किया कि क्या तीन पटेल भाइयों के अलावा कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी है। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है।हमने उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से पूछा कि क्या उनके पास ऐसा कोई मामला है जिसे माँ ने एक वसीयत छोड़ दी है।यह हमें बताया गया है कि माँ द्वारा कोई वसीयत नहीं छोड़ी गई है।यह मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में लाया जाएगा, जो एक हिंदू महिला के उत्तराधिकार से संबंधित है, जिसकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी।पटेल भाई वास्तव में पुत्र होने के नाते प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होंगे।हमें इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि उत्तरदाताओं के लिए कोई मामला नहीं है कि 03.02.2007 दिनांकित आदेश, जो उनके साथ पार्टी सरणी पर पारित किया गया है, पटेल भाइयों द्वारा प्रश्न में बुलाया गया है।इसलिए, हम इसे एक ऐसे मामले के रूप में लेते हैं जहां राशि जमा में पड़ी थी और यह बाद के आदेश दिनांक 1 द्वारा हमारे सामने इस मामले में शामिल दो पटेल भाइयों और दूसरे भाई को विनियोजित किया जाना था।इस मोड़ पर, हम आदेश 21 नियम 52 को फिर से देख सकते हैं।वास्तव में यह उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अलावा किसी और पर निर्भर नहीं है।हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों में, इस आधार पर आगे बढ़ना उचित और उचित होगा कि आदेश 21 नियम 52 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।तथ्यों में, इसलिए, हम महसूस करेंगे कि निम्नलिखित रूप में धारण करना उचित और न्यायसंगत हैः- दूसरी निष्पादन याचिका विचारणीय है।दूसरी निष्पादन याचिका दायर करना इस कारण से अवैध नहीं था कि सी. पी. सी. की धारा 39 के तहत कोई आदेश नहीं था। आदेश 21 नियम 46 ए के तहत आवेदन दायर करना और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

इस मामले के तथ्यों में, सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 52 के तहत अधिक उपयुक्त आदेश एक होता। राशि ए में पड़ी है।

एच.

भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड v.रवींद्र बालकृष्ण पटेल ने तीसरा निर्णय लिया। उनका एलआरएस और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

उसी न्यायालय में जमा जिसमें अपीलार्थी ने निष्पादन के लिए दूसरा आवेदन दायर किया है।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को एक आदेश के रूप में माना जाना चाहिए जिसके द्वारा सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 52 के तहत कुर्की की गई है। दिनांक 08.08.2022 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को Rs.12 लाख से अधिक जमा राशि निकालने की अनुमति दी थी।इस प्रकार यह अपीलार्थी के लिए खुला होगा कि वह उक्त राशि के खिलाफ Rs.12 लाख की सीमा तक आगे बढ़े।आदेश को कुर्की के आदेश के रूप में माना जाएगा।हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस न्यायालय को एक आदेश पारित करने के लिए राजी किया गया था जिसके तहत प्रतिवादियों द्वारा Rs.12 लाख से अधिक जमा राशि को निकालने की अनुमति दी गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इस आधार पर है कि उत्तरदाताओं के दायित्व को स्वीकार करने पर भी रु। उत्तरदाताओं को 12 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाने चाहिए।निष्पादन न्यायालय, अर्थात् चौथा अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (अहमदाबाद ग्रामीण) इसलिए कानून के अनुसार मामले पर आगे बढ़ेगा।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदाताओं-पटेल भाइयों को निष्पादन न्यायालय के समक्ष आपत्तियाँ उठाने का अवसर मिला था और आदेश 21 नियम 46 सी के तहत दिया गया अधिकार गार्निशी के लाभ के लिए है।यह किसी का मामला नहीं है कि उत्तरदाता-पटेल भाई गार्निशी हैं।

ग

डी.

33. तथापि निष्पादन न्यायालय प्रत्यर्थियों की इस शिकायत पर विचार करेगा कि अपीलार्थी ने मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि के समायोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों के संदर्भ में उचित रूप से लेखा-जोखा नहीं किया है जो उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार के तहत प्रत्यर्थियों को देय होगी।हम उक्त कार्य करने के लिए निष्पादन न्यायालय को खुला छोड़ते हैं और यह निष्पादन न्यायालय पर है कि वह अंततः उस सटीक राशि का निर्णय करे जो अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जानी है।

ई.

च

अपीलों को उपरोक्त तरीके से अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा।

दल अपना-अपना खर्च उठाएंगे।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)

एच.